(वाद सं0–1733/2017)

18.11.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, संजीव यादव के पिता, स्व0 जगदीश प्रसाद यादव, बर्खास्त पंचायत सचिव, कृत्यानंद नगर, पूर्णियाँ को उनके सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि, समूह जीवन बीमा में संचित राशि, दिनांक–01.10.1985 से 07.04.1988 तक के बकाया वेतन तथा वित्तीय वर्ष–1985–86, 86–87, 87–88 एवं 88–89 के बोनस के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, के0 नगर, पूर्णियाँ उपस्थित है। प्रतिवेदनानुसार ''परिवादी के स्व0 पिता का अब कोई भी दावा लंबित नहीं है। अपने प्रतिवेदन के साथ परिवादी द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को संबोधित पत्र की प्रति भी अनुलग्नित कर समर्पित की गयी है जिसमें उनका कथन है कि उसके पिता की अब कोई भी पावना लंबित नहीं है तथा वह अपने पिता की सभी लंबित पावना के भुगतान से संतुष्ट है।''

अब, जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अब कोई अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन (पृ0–72–70/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक